IN-UP75070201092917Y

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10

Certificate No.	:	**IN-UP75070201092917Y**
Certificate Issued Date	:	17-Jul-2026 09:20 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14272604/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1427260443590182745922Y
Purchased by	:	SHAPATHKARTA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit - Non-Registerable
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHAPATHKARTA
Second Party	:	COMPETENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By	:	SHAPATHKARTA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

MAYA ★ ACC CODE-UP14272604 ★ L.No.-03/95 MEERUT M.-9368534778

I, SHAPATHKARTA
DECLARE THAT THIS E-STAMP CERTIFICATE IS BEING USED IN ORIGINAL FORM AND IS NOT A PHOTOCOPY

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]

CR/UBN/0071028

जिला [illegible] संलग्न है।

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

सहायक

रजिस्ट्रार

फिदस

14/08/26

Statutory Alert:

(1) No amount other than the value printed on the e-Stamp is payable in any form for the purchase of e-Stamp. (2) If the above information/declaration is found to be false or incorrect, I shall be personally responsible for the same. (3) The authority before whom the deed is presented shall ensure that the e-stamp is being used only for the purpose and in the name for which it was purchased. (4) The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using 'E-Stamping' Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.

संशोधित नियमावली/AMENDED RULES OF ASSOCIATION

संस्था का नाम/Society's Name : श्री चिरंजीवी शिक्षा समिति।

संस्था का पता/ Society's Address : ग्राम हाजीपुर सैक्टर-104, नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर।

संस्था का कार्यक्षेत्र/Society's Work Area: समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

संपर्क संख्या/ Contact Number : 9871172017

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's Membership and Class :

सदस्यता का प्रकार/ Membership Type	शुल्क/Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया/ Procedure of Making Members
आजीवन सदस्य/Life time Member	5000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य होगें।
सामान्य सदस्य/ General Member	500	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते है तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निःस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होगें।

सदस्यता की /समाप्ति / Termination of Membership :

1- मृत्यु हो जाने पर।
2- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3- संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4- अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर।
5- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7- नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

संस्था के अंग/ Society's Parts :

1- साधारण सभा/ General Body
2- प्रबन्धकारिणी समिति/ Mangament Committee

सत्य प्रतिलिपि
पटल [illegible]
कार्यालय [illegible] रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ०प्र०)
11/08/26

साधारण सभा/ General Body :

गठन/ Formation : साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य/ Life Time member सामान्य सदस्य /General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें / Meetings : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

सूचना अवधि/ Notice Period : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक के लिए 24 घन्टे पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति/ Quorum : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबंधसमिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body

1- संस्था के प्रबंधकरिणी समिति का चुनाव करना।
2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।
3- संस्था के नियमो विनियमों मे संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
4- संस्था की नीति निर्धारित करना।
5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना।

प्रबन्धकारिणी समिति/ Management Commitee :-

गठन/ Formation : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष-1, उपप्रबन्धक-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबन्धक-1, सदस्य-2 होगें इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 07 होगी।

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स गाजियाबाद (उ०प्र०) 14/05/2024

Rajiv Sandeep Raghuvir Sachin

सूचना अवधि/ Notice Period : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

बैठकें / Meetings : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घन्टे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

गणपूर्ति / Quorum : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य/
Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body

1- संस्था के नियमो-विनियमों में संशोधन करना।
2- संस्था के प्रबंध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों, की नियुक्ति करना।
3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।
4- प्रबंधकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।
5- संस्था के उद्‌श्यों की पूर्ति हेतु दान, चंदा, ऋण, अनुदा, भूमि, भवन, चल-अचल संपति विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

संस्था के उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु-

अ- चन्दा, दान, ऋण, अनुदान अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
ब- किसी भूमि, भवन तथा चल-अचल सम्पति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण करना या पट्टे या किराये या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।
स- संस्था की भूमि पर निर्माण, मरम्मत या पहले से बने भवनों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं उन्हें बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय आदि आवश्यक प्रयोगिक सुविधाओं से सुसज्जित करना।

सत्य प्रतिलिपि
14/08/26

रिक्त स्थानों की पूर्ति / **Fill Blank seats :-**

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

कार्यकाल/ **Tenure :** प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 साल का होगा।

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/
Election Procedure of Management Committee by General Body :-

प्रबंध समिति का चुनाव साधारण सभा के सदस्यों में से बहुमत द्वारा करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य/
Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body

अध्यक्ष–

1- संस्था की समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना।
2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।
3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
4- संस्था के हित मे कार्य करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होगें।

प्रबन्धक–

1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3- सस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना ।
4- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ०प्र०)

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना।

6- संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

7- संस्था के हित में कार्य करना।

उपप्रबन्धक- प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे उनके अधिकार एवं कर्तव्य उप प्रबन्धक को निहित होगें।

कोषाध्यक्ष-

1- संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इंद्राज करना।

2- संस्था के आय-व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गए कार्य करना।

सदस्य-

1- सदस्य के हित मे कार्य करना।

2- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गए कार्य करना।

सत्यमेव जयते
गाजियाबाद (उ०प्र०)

संस्था का कोष / Society's Account Access Details :

पदाधिकारी/ Post

1- प्रबन्धक

2- कोषाध्यक्ष

आय के स्त्रोत/ Source of Income :

1- Foreign Grants
2- Government Loan
3- Maintenance amount
4- Membership Fee
5- Other Sources
6- Remittance
7- Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया/
Society's Rules and Regulations Revision Process :-

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिर्धन किया जायेगा/ Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General Body's members.

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ०प्र०)

संस्था का कोष/ Society's Accounts Details :-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शिड्यूल बैंक, पोस्ट आफिस, या प्राईवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व/ Responsibility for court operations of the society by or against

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष तथा प्रबन्धक द्वारा कि जाएगीं, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत की जाएगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट)/ Budget Audit :-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा/The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख/ Society's records :

1- सदस्यता रजिस्टर/ Membership Register.
2- कार्यवाही रजिस्टर/ Proceedings Register.
   a)- साधारण सभा/ General Body.
   b)- कार्यकारिणी निकाय/ Executive Body.
3- स्टाक रजिस्टर/ Stock Register.
4- लेजर बुक/ Ledger Book.
5- कैश बुक/ Cash Book.
6- सदस्यता शुल्क रसीद बुक/Membership fee receipt book.
7- दान रसीद बुक/ Donate receipt book.

विघटन/ Dissociation : संस्था की विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जाएगी/ Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2- विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि

पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद

Rajkumar

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जांयेगी।

10- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

11- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

दिनांकः-

सत्यप्रतिलिपि।

सत्य प्रतिलिपि
पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ0प्र0)

30

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : श्री चिरंजीवी शिक्षा समिति।
संस्था का पता / Society's Address : ग्राम हाजीपुर, सैक्टर-104, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर,Gautam Buddha Nagar ,201304
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : समस्त उत्तर प्रदेश होगा
संपर्क संख्या / Contact Number : 9871172017

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य
बहुउद्देशीय ,
से सम्बंधित है)

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राईमरी स्तर से लेकर स्नातकोतर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. निर्धन व अनाथ बालक बालिकाओं के सिलाई, कढाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।
3. युवा वर्ग के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का संचालन एवं संपादन करना।
4. समाज में पिछडी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांगों आदि के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।
6. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों की स्थापना कर नियमानुसार संचालन करना।
7. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल कूद, वाद विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन कराना ।
8. चिकित्सा कैम्प, शिविरों का आयोजन कराकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
9. पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने हेतु उन्हे उपाय सुझाना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि का संचालन करना।
10. शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करके शिक्षा प्रदान करना।
11. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं समाज को अवगत कराकर उनको लाभान्वित कराने का प्रयत्न करना ।
12. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय की स्थापना करना ।
13. मेधावी विद्यार्थियों को पुरुस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को बढ़ावा देना।
14. संस्था के उद्देश्य सो0रजि0 एक्ट 1860 की धारा 01 व 20 के अनुसार होगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है /
Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री राजकुमार	पुत्र श्री नैन सिंह	आवास विकास, इन्द्रा कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, भाईपुरा रोड, बुलन्दशहर।	अध्यक्ष	नौकरी	9761648142		
2.	श्री सचिन कुमार	पुत्र श्री समुद्रपाल सिंह	ग्राम विधिपुर, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।	उपाध्यक्ष	नौकरी	7830761401		
3.	श्री आकाश सिंह	पुत्र श्री रणवीर सिंह	ग्राम हाजीपुर, सैक्टर-104, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201304	प्रबन्धक	नौकरी	9871172017		

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय जिला रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
14/05/24

29

4.	श्री संदीप कुमार	पुत्र श्री केवल सिंह	ग्राम व पोस्ट जरिया आलमपुर, जिला बुलन्दशहर।	उपप्रबन्धक कृषि	9720717458	
5.	श्री जसवीर सिंह	पुत्र श्री सुखवीर सिंह	ग्राम विधिपुर, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।	कोषाध्यक्ष कृषि	8506078588	
6.	श्रीमति राश्मिता कर	पत्नी श्री गगन बिहारी दास	रूम न0-38, आर0सी0 कॉलोनी, भंगेल, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य नौकरी	9711939272	
7.	श्री सचिन	श्री आज़ाद सिंह	ग्राम कुलीपुरा, सलेमपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।	सदस्य नौकरी	9015274275	

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री राजकुमार	पुत्र श्री नैन सिंह	आवास विकास, इन्द्रा कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, भाईपुरा रोड, बुलन्दशहर।	नौकरी
2.	श्री सचिन कुमार	पुत्र श्री समुद्रपाल सिंह	ग्राम विधिपुर, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।	नौकरी
3.	श्री आकाश सिंह	पुत्र श्री रणवीर सिंह	ग्राम हाजीपुर, सैक्टर-104, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201304	नौकरी
4.	श्री संदीप कुमार	पुत्र श्री केवल सिंह	ग्राम व पोस्ट जरिया आलमपुर, जिला बुलन्दशहर।	कृषि
5.	श्री जसवीर सिंह	पुत्र श्री सुखवीर सिंह	ग्राम विधिपुर, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।	कृषि
6.	श्रीमति राश्मिता कर	पत्नी श्री गगन बिहारी दास	रूम न0-38, आर0सी0 कॉलोनी, भंगेल, गौतमबुद्धनगर।	नौकरी
7.	श्री सचिन	श्री आज़ाद सिंह	ग्राम कुलीपुरा, सलेमपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।	नौकरी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है। दिनाँक / Date :-16/08/2024

हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ०प्र०)

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
सत्यमेव जयते
गाजियाबाद (उ०प्र०)

फाईल स० GZ/GZB/0071028
संस्था का नाम श्री चिरंजीवी शिक्षा समिति
....
1. स्मृति पत्र ....
2. नियामवली ....
3. प्रबन्ध समिति की सूची ....
आज दिनाँक 07/08/2026
को सन् 1860 मे प्रमाणित है अन्तर्गत
निबन्धित की गई ।

निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गाजियाबाद (उ०प्र०)